सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल

खंड 1 अंक 3 मई 2013 केवल निजी प्रसार हेतु

यांगयांग में विश्वविद्यालय परिसर की नींव रखी गई : राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने लोकतंत्र में शिक्षा की भूमिकाओं को रेखांकित किया

भारत में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे शिक्षा संस्थान शिक्षा के महान केंद्र थे, जहां दुनिया भर से विद्वानों ने ज्ञान की खोज में दौरा किया करते थे, इस गौरवशाली अतीत को स्मरण करते हुए राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने उम्मीद जताई कि आनेवाली भविष्य में उन दिनों को संरक्षित करना संभव होगाए अपने संबोधन में सिक्किम विश्वविद्यालय परिसर की नींव के लिए पट्टिका का अनावरण करने के बाद श्री मुखर्जी ने भारत को ज्ञान का एक केंद्र बनाने में उच्च शिक्षा के संस्थानों की भूमिका और एक मजबूत जीवंत भारत के निर्माण में इसकी अनिवार्यता को रेखांकित किया.

यह चिंता की बात है कि हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में विश्वभर के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं था. हालांकि उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जिन जिन को मिले हैं उन विद्यार्थीयो और शिक्षकों को वादा करते हुए देखे है, इससे स्पष्ट है कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं हैए श्री मुखर्जी 2013 के फरवरी के शुरू में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ हुई बैठक के अनुभवों को स्मरण किया जहां उन्हें इस मामलों की पूरी तरह चर्चा करने का अवसर मिला.

16 अप्रैल 2013 को मानव केन्द्र, गंगटोक में आयोजित विश्वविद्यालय के प्रस्तावित परिसर के लिए नींव डालने हेतु पट्टिका का अनावरण समारोह में अपने संक्षिप्त लेकिन भावपूर्ण संबोधन में श्री मुखर्जी ने रेखांकित किया कि हमें हमारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी होगी. राष्ट्रपति जी नींव का पत्थर यांगयांग के प्रस्तावित स्थल पर ही रखने वाले थे , लेकिन खराब मौसम और सुरक्षा मुद्दों के कारण नींव डालने का स्थान गंगटोक में स्थानांतरित किया गया.श्री मुखर्जी विश्वविद्यालय के विजिटर भी हैं और उन्होने निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद परिसर का दौरा करने का वादा किया.

लोकतंत्र में ज्ञान के महत्व पर जोर देकर अरस्तू का उदाहरण देते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि ज्ञान वास्तव में आर्थिक विकास के लिए आधार था और किसी भी समाज में सूचना और ज्ञान के बीच अपरिहार्य गठजोड़ पर बल दियाण्उन्होने कहा कि 2007 में स्थापित सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महसूस की गई वृहद शून्य को भरने में निश्चित रूप से सक्षम होगा और इस क्षेत्र के लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में अतिरिक्त दूरी तय करने की आवश्यकता पर जोर दियाण

राष्ट्रपति के साथ सिक्किम के राज्यपाल श्री बीपी सिंह, सिक्किम विश्वविद्यालय के चीफ रेक्टर तथा सिक्किम के मुख्य मंत्री श्री पवन चामलिंग भी समारोह में उपस्थित थण

सभा को संबोधित करते हुए श्री बीपी सिंह ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उद्धृत करते हुए एक विश्वविद्यालय के निर्माण में समर्पित शिक्षकों की समूह के महत्व को रेखांकित किया शिक्षकों को केवल ज्ञान का प्रकाश फैलाना और समाज को रोशन करना ही नहीं वल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि छात्र–छात्राएं भी ऐसा ही करने के लिए सक्षम होण

अपने संक्षिप्त भाषण में श्री चामलिंग ने पिछले दो दशकों से प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत करके शिक्षा की पहुँच ब□ाने में राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में बताया और राज्य सरकार यह सुनिश्चित की है कि इस अवधि के दौरान राज्य की सम्पूर्ण बजट में से कम से कम 20 प्रतिशत शिक्षा में आबंटन किया गया है. निरूशुलक पाठ्य पुस्तकें, अन्य समग्रियाँ और यूनि□ार्म प्रदान के संबंध में बताते हुए उन्होंने और कहा की राज्य की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक विशाल परिवर्तन लाया गया है. उन्होने अपने सम्बोधन में कहा कि एक ही जगह में राज्य सरकार कम से कम चार कॉलेजों की स्थापना की और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हिमालयी राज्य में शिक्षा को आगे ले जाने की मुहिम का अभिन्न हिस्सा था.

श्री चामलिंग ने सिक्किम विश्वविद्यालय को 300 एक□ जमीन सौंपने की घोषणा की और यांगयांग परिसर के लिए प्रस्तावित भूमि के लिए राष्ट्रपति द्वारा पहले अनवरित किए गये पट्टिका को स्थापित करेंगे. मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा का एक केन्द्र के रूप में विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण हेतु सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का वादा किया.

ग ण मा न्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए सिक्किम सरकार के मानव संसाध

ये भी पड़िए

- भूकंपी चिंताएं और संरचनात्मक सावधानियॉ. . . पृ ठ 3
- भूकंपी चिंताएं और संरचनात्मक सावधानियॉ . . . पृ ठ 3
- आमंत्रण पर दिये गए व्याख्यान/पुस्तक चर्चाएँ. . . पृ ठ 3
- प्रकाशन
- मीडिया में महिलाएं : कुछ चिंताए... पृ ठ 4
- वलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन : कुछ झलकियाँ... .पृ ठ 6

सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल

पृष्ठ 2

खंड 1 अंक 3 | मई 2013 | केवल निजी प्रसार हेतु

ान और विकास मंत्री श्री एन. के. प्रधान ने सिक्किम को एक शिक्षा केंद्र बनाने में सिक्किम विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर □ार दिया। समारोह के अंत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) टी बी सुब्बा ने सबको धन्यवाद ज्ञापन किया और सिक्किम के विविध सांस्कृतिक जीवन को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित कर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का मनोरंजन किया गया।

पट्टिका यांगयांग ले जाया गया और 18 अप्रैल 2013 को विश्वविद्यालय परिसर के लिए स्थल पर स्थापित किया गया. समारोह में यांगयांग के लोग और वहाँ के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। गंगटोक के समारोह की तरह यांगयांग के समारोह का आयोजन भी सिक्किम सरकार और सिक्किम विश्वविद्यालय के संयुक्त सहयोग से किया गया था.

यांगयांग में सभा को संबोधित करते हुए सिक्किम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) सुब्बा, ने विश्वविद्यालय लोगों के लिए भले ही नियमित नौकरियों की संख्या सीमित हो जाएगी, फिर भी तत्काल संदर्भ में लाभदायक व्यवसाय अथवा पेशे की व्यापकता को रेखांकित किया. उन्होंने यांगयांग के लोगो से आह्वान किया कि वे अपने व्यवसयिक कौशलों को समृद्ध करें, जिसकी विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण की प्रक्रिया में जरूरत होगी और साथ ही उन्होने कहा कि यांगयांग में सिक्किम विश्वविद्यालय के परिसर लंबे समय तक उन्हें आगे और कौशल प्रदान करने में सहायता करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विश्वविद्यालय कई दशकों के लिए उनके बीच रहेगा और इससे आने वाले वर्षों में कौशल विकास के माध्यम से रोजगार की स्कोप से उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री श्री चामलिंग ने वहाँ उपस्थित लोगों को विभिन्न कार्यों में लगाया . कुछ 75 साल पहले के लोगों के दुर्गम जीवन को याद करते हुए श्री चामलिंग जी ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर के आने के साथ उनके जीवन में लाये जानेवाले परिवर्तन को रेखांकित किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि सिक्किम विश्वविद्यालय इस क्षेत्र के लोगों के लिए लंबे समय से पोषित एक सपना है जो दुनिया भर में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में उभरेगा.

यांगयांग में विश्वविद्यालय का अपना परिसर स्थानातरित होने में अब बस समय की जरूरत है. परिसर के लिए डिजाइन, योजना और निर्माण करने के लिए आवश्यक पहल की जा चुकी है.

संपादक की कलम से

अब हमारा एक अपना परिसर होना वास्तविकता है और सिक्किम विश्वविद्यालय यांगयांग परिसर में स्थानातरित होने के लिए सिर्फ समय की जरूरत है। भारत के राष्ट्रपति तथा सिक्किम विश्वविद्यालय के विजिटर श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 16 अप्रैल 2013 को आयोजित शिलान्यास समारोह में पट्टिका की स्थापना और अनावरण किया गया, जो कि सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए प्रमुख सफलता थी. यांगयांग के समारोह में लोगों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि लोगों को उनके बीच एक विश्वविद्यालय परिसर होने की आशा है, वास्तव में इसमें छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारियों के साथ साथ सिक्किम के लोगों का भी सपना साकार हो रहा है. सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल समारोह में भाग लिया और संपादकीय बोर्ड ने इसे मील का पत्थर मानते हैं.

क्रॉनिकल के पहले अंक की शुरुआत से ही यह हमारी इच्छा रही कि हमारी इस प्रयास में विश्वविद्यालय के छात्रों का योगदान रहे और हम संपादकीय बोर्ड इस दिशा में बहुत अधिक संतुष्ट हैं. महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं के खिलाफ एक कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से अप्रैल 2013 की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी. सबसे पहले विधि विभाग की सुश्री प्रीति शर्मा ने यह पहल की. हमारे पुस्तकालय इमारत के सामने मोमबत्ती जलाते हुए छात्र एकत्र हुए और वहाँ पर उनके साथ कुछ संकाय सदस्य भी शामिल हो गए. कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) टीबी सुब्बा और विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री के.एम. देव भी विरोध प्रदर्शन में भाग लिये.

हम इस अंक में चित्रों के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर रहे हैं. मीडिया में महिलाओं के चित्रण से जुड़े कानूनों और नियमों पर पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग से सुश्री पूजा गुप्ता ने फोटो फीचर सहित एक लेख लिखा जहा उन्होने अफसोस जताया कि केसे बिना किसी दंड से इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

आने वाले महीनों में इससे और अधिक कुछ करने की आशाओं के साथ,

डॉ. वी. कृष्ण अनंत
संपादक

सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल

पृष्ठ 3

खंड 1 अंक 3 | मई 2013 | केवल निजी प्रसार हेतु

भूकंपी चिंताएं और संरचनात्मक सावधानियाँ

डॉ. राकेश रंजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

डॉ. अरुण रावत, पूर्व अध्यक्ष, अर्थ क्वेक इंजीनियरिंग रिसर्च डिवीजन, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे और सिक्किम विश्वविद्यालय के भवन निर्माण समिति के सदस्यों ने 20 अप्रैल 2013 को सिक्किम विश्वविद्यालय के न्यू शैक्षणिक इमारत में शसिक्किम विश्वविद्यालय के परिषर विकास रू भूकंपी विचार ष पर एक पावर प्रेजेंटेशन दिये. कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) टी. .बी सुब्बा और विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य प्रस्तुति में उपस्थित थे. अपनी प्रस्तुति में डा. बापट ने यांगयांग, दक्षिण सिक्किम में परिसर के लिए प्रस्तावित ढांचे की स्थिरता हेतु योजना बनाते समय लिए जानेवाली आवश्यक संरचनात्मक सावधानियों के बारे बताया. उन्होंने विभिन्न प्राचीन इमारतों की तस्वीरें दिखाई जो 8 से अधिक रिक्टर पैमाने के भूकंप के बावजूद भी सैक□ों वर्षों तक सही सलामत रहा.

चक्राकारध्अंडाकार संरचना इन इमारतों की सामान्य विशेषता रही हैं. उन्होंने नई तकनीक के साथ इमारतों के निर्माण के पारंपरिक तरीकों का विलय की वकालत की. मुख्य इमारतों के लिए डा. बापट ने चक्राकारध्अंडाकार संरचना की स्थिरता और महत्व पर बल दिया जहां सिक्किम जैसे भूकंप उन्मुख क्षेत्र में तनाव का असर न्यूनयतम हो . उन्होने भूमिगत भंडारण टैंक और परिसर की दीवारों की सि□ारिश कीण बाहर की तरफ दरवाजे खोलने पर भी जोर दिया गया. अपनी प्रस्तुति में डॉ. बापट ने भू–कटाव को रोक कर रखने वाले घास के महत्व पर भी □ोर दिया

सेमिनार , सम्मेलन एवं कार्यशाला

दीप मोनी गोगोई और उगेन भूटिया, एमफिल विद्वान, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग

19 और 20 अप्रैल 2013 को असम विश्वविद्यालय, सिलचर द्वारा पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक विविधता, प्रबंध विविधता पर आयोजित राष्ट्रिय सेमिनार में ' एकॉमोडेटिंग डाइवर्सिटी रू मेनेजिग डाइवर्सिटी इन सिक्किम' शीर्षक पर एक पेपर प्रस्तुत किये ।

सुश्री खंगेंबम इंदिरा, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग

30 और 31 मार्च, 2013 को गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'सेक्सुएल हेरासमेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस रू इंपॉर्टेन्स ऑफ एक्सेप्टेन्स एंड ट्रस्ट बाइ कॉलीग्स' पर एक पेपर प्रस्तुत किया.

डॉ. वी. कृष्ण अनंत, सह प्राध्यापक, पत्रकारिता और जनसंचार विभाग. 30 और 31मार्च, 2013 को गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय और भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'द वुमेन इन बंकिम चंद्र चटर्जीस आनंद मठ' पर एक पेपर प्रस्तुत किया.

प्रिवत गिरि और सौरभ थापा, एमफिल विद्वान, पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग

19 और 20 अप्रैल 2013 को असम विश्वविद्यालय, सिलचर द्वारा पूवा. ्तर में सांस्कृतिक विविधता, विवाद और प्रबंध विविधता की संरचनाश पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 'एंटी डेम मूवमेंट इन सिक्किम रूरिअसर्टेशन ऑफ द लेपचा एंड भूटिया आइडेंटिटी□ एट हेल्म' पर एक पेपर प्रस्तुत किया.

सुश्री रस्मिता सरकार,छात्रा, बागान प्रबंधन एवं अध्ययन विभाग ने 9 अप्रैल 2013 को सिक्किम विश्वविद्यालय के बागान प्रबंधन एवं अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया और 'मेनेजमेंट एंड वर्किंग कंडिशन ऑफ लेबरर्स इन टेमी टी गार्डन' पर पेपर प्रस्तुत किया .

सोहेल फिरदोस, सहायक प्राध्यापक, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विभाग ने 8 और 9 अप्रैल 2013 को एनआईआरडी–एनईआरसी, गुवाहाटी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकैडमी ऑफ एड्मिनिसट्रेशन (एलबीएसएनएए) द्वारा स्वायत्व जिला परिषद एवं भूमि प्रशासन पर आयोजित कार्यशाला में 'चेंजिंग लैंड ओनर्शिप पेटर्न्स एंड इट्स इंपेक्ट ऑन सोशियल रिलेशन्स इन सिक्किम' पर पेपर प्रस्तुत किया।

सुशोभन बिरतिया, बागान प्रबंधन एवं अध्ययन विभाग ने 9 अप्रैल 2013 को सिक्किम विश्वविद्यालय के बागान प्रबंधन एवं अध्ययन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया और 'प्रॉडक्शन, मार्केटिंग एंड ब्रांड डेव्लपमेंट ऑफ टेमी टी ' पर पेपर प्रस्तुत किया।

आमंत्रण पर दिये गए व्याख्यान / पुस्तक चर्चाएँ

17 अप्रैल 2013 को सिक्किम अकाडमी भवन, गंगटोक में सिक्किम सरकार द्वारा स्थापित निकाय सिक्किम अकाडमी द्वारा आयोजित चर्चा सत्र में नेपाली भाषा और साहित्य विभाग के सभी संकाय डा. कविता लामा, बलराम पांडेय, देवचंद्र सुब्बा और समर सिन्हा भाग लिए। डा. गोपाल प्रसाद दहल के सिक्किम हिमालय क्षेत्र की भाषा और भाषाविज्ञान पर आधारित निबंध संग्रह 'भाषा विविधा' शीर्षक पुस्तक पर इसके उदघाटन संस्करण की चर्चा हुई। नेपाली विभाग के छात्रों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया.

सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल

पृष्ठ 4

खंड 1 अंक 3 | मई 2013 | केवल निजी प्रसार हेतु

प्रकाशन

डॉ. अरुण छेत्री, बागान प्रबंधन और अध्ययन विभाग.
असेसिंग एथ्नोबॉटनीकल वैल्यू एंड थ्रेट स्टेटस ऑफ टेट्रसिग्मा रिउमि. सिस्पेर्मम (लॉसन) प्लांच, अ लेसर नोन लाएना स्पेसिस ऑफ कंचनजंघा बायोस्फेयर रिजर्व, सिक्किम, इंडियन जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, खंड .12 (2) अप्रैल, 2013 पृष्ठ 339–341.

डॉ. हरे कृष्णा तिवारी, सह प्राध्यापक, एथ्नोबॉटनी विभाग.
सीरम थाईरो ग्लोबियम एंटीबॉडी (एंटी– टीजी) एंड थाईरोपेरोक्साइडेस एंटीबॉडी (एंटी– टीपीओ) लेवेल्स इन स्कूल चिल्ड्रेन फ्रम गोइटर एंडे. मिक सब–हिमालयन तराई रीन ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इंडिया, अनिरुद्ध भट्टाचार्य, ए.के चंद्रा, एच.के. तिवारी, तबारक मलिक, चिरंजित मंडलरू
इंटरनैशनल जे मेड स्वास्थ्य विज्ञान. अप्रैल 2013, खंड 2, अंक –2 पृष्ठ 149–53

सुश्री सांगमु थेंडुप, सहायक प्राध्यापक, नीति नियोजन और अध्ययन विद्यापीठ .
एनवायरनमेंटल पर्सपेक्टिव्स इन अर्लि बुद्धिम य अ रिस्पॉन्स टु इकोलॉजिकल चौलेंजेस इन मेथ्यू कोशी पुनकाडु एंड नायर अनूप चन्द्रशेखरन (ईडी), "रिलीज्यस रिस्पॉन्स टु इकोलॉजिकल चौलेंजेस ' पर 2013 में लैम्बर्ट अकैडमिक पब्लिशिंग, जर्मनी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत किया . पृष्ठ 111–115

मीडिया में महिलाएं : कुछ चिंताए

पूजा गुप्ता, एमए, द्वितीय सेमेस्टर,
जनसंचार विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत लेख

भारत की मीडिया को यद्यपि कोई संवैधानिक या कानूनी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, मूल रूप से भारत के हर नागरिक के लिए सुनिश्चित एक जैसा ही स्वतंत्रता प्राप्त है. संविधान के अनुच्छेद 19 में सुनिश्चित किये गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 (1) (क) के अनुसार सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा . लेकिन यह अधिकार राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ वंधुत्वपूर्ण संबंध, जनादेश, नैतिकता और शालीनता, अदालत की अवमानना, मानहानि, अपराध मुखिता, भारत की एकता एवं अखंडता जैसी स्थिति में अनुच्छेद 19 (2) के तहत लगाई गई सीमाओं के अधीन है.

इसी संदर्भ में मीडिया को सावधानीपूर्वक महिलाओं की गोपनीयता को ध्यान में रखकर मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन आम तौर पर मीडिया उन लोगों के व्यक्तिगत अधिकार को कुचलने लगते हैं जो विशेष रूप से उन लोगों के साथ बहस करने की स्थिति में नहीं होते हैं. ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को लोगों के ध्यान से हटाने के लिए 'गोपनीयता' या 'अकेले छोड़ दिया जाने का अधिकार' एक जरूरी आवश्यकता है.

मीडिया एडवोकेसी समूह का एक अध्ययन ''महिलाओं के खिलाफ हिंसा : मीडिया कवरेज और प्रतिनिधित्व'' के अनुसार बलात्कार जैसे मुद्दों पर संवेदनशील रिपोर्टिंग में सिर्फ एकमात्र विनियम यह है कि बलात्कार पीतों के नाम का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए. इस को छोड़कर अध्ययन से यह पाया गया है कि सब कुछ की रिपोर्ट विशदातापूर्वक दी है. अक्सर पीडित के परिवार के नाम और पते उद्धृत किया जाता है जो कि विनियम एक मजाक बन रही है.

भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी पत्रकारिता आचरण के मानदंड द्वारा गोपनीयता के अधिकार को भी स्वीकार किया गया है जिसमें कहा जाता है षकि बलात्कार, स्त्री/महिलाओं की अपहरण या यौन उत्पीड़न या बच्चों या शुद्धता से जु संदेह और सवाल उठाने से संबन्धित अपराधों की रिपोर्टिंग करते समय व्यक्तिगत चरित्र और महिलाओं की गोपनीयता, नाम, पीतों की तस्वीरें या उनकी पहचान से संबन्धित कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं किया जाएगा". हाल की मीडिया रिपोर्टों के द्वारा इन दिशा निर्देशों का बार बार उल्लंघन किया गया है.

केस स्टडी

16 दिसंबर 2012 को बहुत अधिक वितर्कित दिल्ली गैंग रेप के मामले में सभी नाराओं और विरोधों के बीच मीडिया शायद भूल गई कि यह कहानी एक व्यक्ति और उसके परिवार के बारे में थी. न्यू चेनेल में प्रसारित हर दूसरे अद्यतन समाचार और अखबार में छपी समाचारों से एक सवाल उठा कि सही मायने में क्या यह किसी सार्वजनिक हित के लिए था. यहां तक कि पीत के नाम से कानून के नाम करने की वकालत भी भारत के चिंतन समाज ने की है.

13 अक्टूबर 2012 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिव. र्सिटी, बेंगलुरु (एनएलएसआइयू) जनभारती परिसर की एक छात्रा की गैंग रेप की एक अन्य घटना है। जिस तरह से इसकी रिपोर्ट की गई थी वह चौंकानेवाली थी . घटना को सनसनीखेज बनाया गया था और पहचान का भी खुलासा किया गया था .

टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) में पढ़ रही एक अंतरराष्ट्रीय छात्रा के साथ हुई बलात्कार मामले में मीडिया ने लड़की के नाम का तो खुलासा नहीं किया लेकिन विश्वविद्यालय का नाम का खुलासा किया और जिसके कारण छात्रा की पहचान छुपी नहीं रही. बलात्कार अपराध से पीतों की गोपनीयता की रक्षा की जानी चाहिए. जैसा कि आमतौर पर ऐसी किसी घटना हमारे समाज में घटती रहती है और देखी जाती है, ऐसी घटनाओं के बाद हमारे समाज उसे समर्थन करने और उसके प्रति सहानुभूती दिखाने के बजाय उस पीतों के चरित्र पर सवाल उठाता है. पीतों को उसके जीवन भर अपराध के आघात के साथ जीना पड़ता है.

घटना के बारे में मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टों के कारण पीतो को अपने समाज में रहने के लिए एक गंभीर स्थिति का सामना करना पता है। समाज की इन स्थितियों और दुर्व्यवहार

सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल

पृष्ठ 5

खंड 1 अंक 3 मई 2013 केवल निजी प्रसार हेतु

पीि□तों को अपने आप को समाज के साथ मेल मिलाप करने और एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए रोकता है. यह मानसिक अस्थिरता कभी कभी आत्महत्या जैसी घटनाओं की ओर भी प्रेरित करती है.

मीडिया में महिलाओं की गलत बयानी

एक महिला की पहचान की गोपनीयता बनाई रखने के अलावा, महिलायेँ भी भारतीय मीडिया में इस तरह के विज्ञापनों और फिल्मों के रूप में प्रचारित हो रही हैं. मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन और फिल्मों में महिलाओं का चित्रण एक विशाल और अंतहीन बहस है.

बंगलूर की कार्यकर्ता और दस्तावेजी फिल्म निर्माता दीपा ध ानराज ने लिखा हैरू ष्भारतीय विज्ञापन जगत में, महिलाओं को टायरों से लेकर सीलिंग फेन तक के विभिन्न उत्पादों के लिए सेक्सिस्ट विज्ञ. ापनों में मॉडल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण बस घटिया और अश्लील है। एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में महिलाओं को लगातार दृश्य – श्रव्य मीडिया में दिखाया जा रहा है.

भारतीय मीडिया में मर्डर, राज जैसे और कई सिनेमा में महिलाओं की अशिष्टता और अश्लीलता को जोड़ शोर से दिखाया है.

महिलाएं, अश्लीलता और कानून

मीडिया में महिलाओं के गलत बयानी से सुरक्षित करने के लिए कई कानून और अधिनियम हैं, हांलाकि ये अप्रभावी हैं.

महिलाओं के स्वतंत्र पतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 मीडिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नियम निर्धारित करता है. यह विज्ञापन, पुस्तकों, लेखों, चित्रों, आंकड़े के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध लगाता है. इस अधिनियम की धारा 4 उत्पादन, बिक्री, वितरण, दायाद, परिच. ालन, डाक द्वारा किसी भी पुस्तक प्रेषण, पुस्तिका, स्लाइड, फिल्म, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग आदि पर प्रतिबंध लगाता है जिसमे किसी भी तरह से महिलाओं को अश्लील रूप में को दिखाया गया हो।

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 अश्लील पुस्तकें आदि पर प्रतिबंध लगाता और भारतीय दंड संहिता की धारा 294 किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी अश्लील कृत्य और गाने पर प्रतिबंध लगाता है।

सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 सार्वजनिक प्रदर्शनी और लाइसेंस के लिए उपयुक्तता आधार पर फिल्मों के परीक्षण और प्रमाण ान से संबन्धित है. सार्वजनिक प्रदर्शनी हेतु फिल्मों के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश के अनुसार फिल्म प्रमाणन बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि दृश्य अपमानजनक और महिलाओं को बदनाम करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया हो। अगर विषयवस्तु के लिए इस तरह के मुद्दे प्रासंगिक हैं, तो उसे न्यून्यतम स्तर तक कम किया जाना चाहिए.

इन अधिनियमों और संहिताओं का पालन करने से ज्यादा कई बार उल्लंघन किया गया है. उपरोक्त की तरह अश्लील तरीके से हर दिन प्रसारित किए जा रहे है, शायद ही इस पर कोई कारवाई की गई है। जाहिर है कि इन कानूनों में कुछ संशोधन किये जाने की जरूरत है, पर अगर वर्तमान अधिनियम और संहिताओं को सख्ती से पालन किया जाए तो इससे महिलायेँ सुरक्षित होगी.

सिक्किम विश्वविद्यालय क्रॉनिकल

पृष्ठ 6

खंड 1 अंक 3 | मई 2013 | केवल निजी प्रसार हेतु

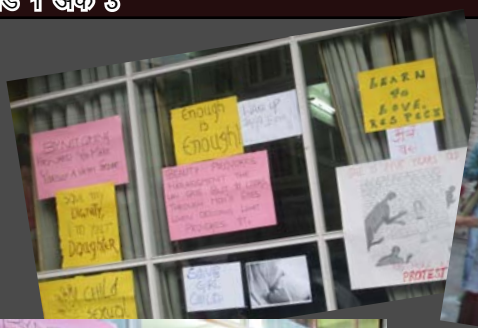

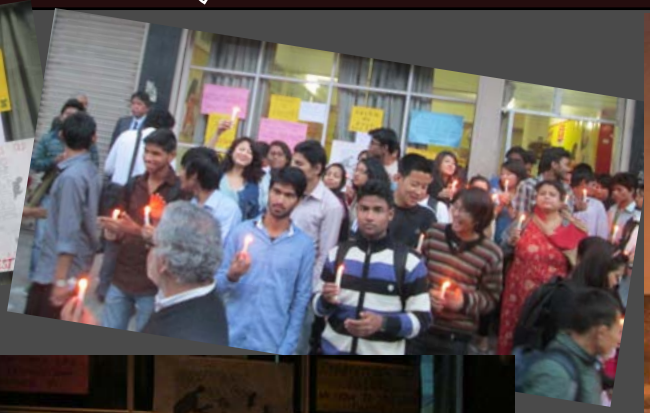

बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन : कुछ झलकियाँ